

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक मे. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई
बिलासपुर वनमंडल में आवेदित राजस्व वनभूमि 24.585 हे. बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय
राजमार्ग क्रमांक 111 चौड़ीकरण स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें।

अनुशंसित


(बी.आनंद बाबू)
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर